

अनुज्ञापन एफ0एल0-40

संख्या- 190 /दो-805ए(19)/एफ0एल0-40/प्राविधिक/इलाहाबाद:दिनांक:जुलाई 16, 2013

ऐसे उद्योगों में जिनमें अल्कोहल विलायक (साल्वेंट) के रूप में माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और ऐसे उत्पाद में अल्कोहल जिसे सामान्यतया पुनः प्रयोग के लिए प्राप्त किया जाता है, नहीं होता है यथा सेलूलोज पेक्टिन इत्यादि।

मेसर्स तनुक फार्मा (इण्डिया) लि0 ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर जिसे एतदपश्चात् लाइसेन्सधारी कहा गया है, को स्थान:-बी-26 साईट सी यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रियल एरिया सूरजपुर ग्रेटर, नोएडा गौतमबुद्धनगर पर स्थित इकाई में 2.57 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष **Trioxolane Methylene Ester Intermediate of Arterolane Maleate** के उत्पादन हेतु दिनांक 15/7/2013 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए 60,000(साठ हजार) ब0ली0 विकृत एब्सोल्यूट अल्कोहल.वार्षिक जिसे विशिष्टतया विकृत स्पिरिट कहा गया है को अपने कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स नियमावली 1976 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एतद्वारा स्वीकृत तथा जारी किया जाता है, जिसमें से किसी उपबन्ध का उल्लंघन अथवा आबकारी/अफीम/मादक भेषज विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध लाइसेन्सधारी को किन्हीं भी उन शास्तियों के अतिरिक्त जो उपयुक्त के अधीन आरोपित की जाय, उसका लाइसेन्स रद्द किये जाने योग्य बना देंगे। इकाई को दिया जाने वाला विकृत एब्सोल्यूट अल्कोहल 2.0 प्रतिशत एसीटोन से विकृत किया जायेगा।

भू-गृहादि का विवरण

- 1-पूरब - डी 1+2एस0एन0 इंजीनियरिंग
- 2-पश्चिम - 18 मी0 चौड़ी सड़क
- 3-उत्तर - 45 मी0 चौड़ी सड़क
- 4-दक्षिण - बी 23-25 नोएडा साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क

(जे0पी0 शर्मा)
आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।

01L